

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

योगेन्द्र सिंह

बनाम

गुड्डी देवी वगै०

:-79/2024

कि आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
6.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थीगण अनु०। अप्रार्थीगणों को बार-बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नहीं। अतः अप्रार्थीगण सं० 1 लगायत 9 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने व वकील प्रार्थी की बहस का मनन करने पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू-राजस्व अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम चावण्ड का मण्ड, पटवार हल्का सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 595/157 रकबा 0.0690 है०, खसरा नम्बर 598/499 रकबा 0.0170 है० भूमि में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। अगर किसी पडौसी खातेदार द्वारा आपत्ति करते हैं तो उन्हें सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावें।</p> <p>निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।</p>	

  
उप खण्ड अधिकारी  
(ललित मीना)  
उपखण्ड अधिकारी  
जमवारामगढ